राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

दैनिक भास्कर समाचार पत्र जयपुर में दिनांक 29.09.2025 को प्रकाशित समाचार ''भू जल घोटाला'' में वर्णित तथ्यों की विशेष जांच हेतु शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्रावली पर दिये गये निर्देशों एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्र क्रमांक प.5(14)वित्त/अंकेक्षण/2025 जयपुर दिनांक 11.11.2025 के अनुसरण में भू जल विभाग, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर एवं उदयपुर जिलों की वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक की विशेष जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दलों का गठन किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम जिला	गठित विशेष जांच दल	PV/IC जांच दल संख्या	जांच दल मुख्यालय
1	जयपुर	श्री हेमन्त बिलाला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी	IC 07	जयपुर
		श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सदस्य	IC 11	
		श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सदस्य	IC 11	
2	जोधपुर एवं बाड़मेर	श्री नन्द किशोर व्यास, वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रभारी	IC 15	जोधपुर
		श्री नवीन थानवी, लेखाधिकारी, सदस्य		
		श्री जितेन्द्र गोलिया, कनिष्ठ लेखाकार, सदस्य		
3	उदयपुर	श्री प्रमोद बिहारी शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रभारी	IC 18	कोटा
		श्री श्याम कुमार टेलर, लेखाधिकारी, सदस्य		
		श्री किशन लाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, सदस्य	PV 46	बूंदी

विशेष जांच कार्य समाचार पत्र में छपे तथ्यों के आधार पर किया जाना है। विशेष जांच के बिन्दु निम्न प्रकार रहेंगे :–

1. विभाग में नलकूपों की खुदाई व नलकूपों के जीर्णोंद्धार के लिए विभाग में ड्रिलिंग मशीनों के रिपेयर के नाम पर फर्जी बिल उठाना एवं विभाग के पास जयपुर एवं जोधपुर में सेन्ट्रल वर्कशॉप होने के बावजूद भी पिछले पांच साल में निजी वर्कशॉप के नाम से 21 करोड़ रूपये का भुगतान उठाना तथा जोधपुर में 14 फर्मों के नाम से 5.57 करोड़ और जयपुर में 13 फर्मों के नाम से 3.05 करोड़ रूपये का भुगतान उठाना।
2. विभाग से बाहर निजी वर्कशॉप में रिपेयर करवाने के लिए कोई अनुमति ली गई अथवा नहीं?
3. बाड़मेर में एक साल में ही 41 लाख रूपये के भुगतान की विशेष जांच।
4. उदयपुर, जयपुर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में जिन वर्कशॉप पर रिपेयर करना बताकर भुगतान उठाया वहां हकीकत में कोई वर्कशॉप नहीं मिली उदयपुर में केवल दुकाने थी तो जोधपुर व जयपुर में फर्म मालिकों ने घर को ही वर्कशॉप का पता बताया, की विशेष जांच।
5. बाड़मेर में रनीशा मोटर्स एण्ड रिपेयर का साल 2024–25 का 11.53 लाख रूपये का भुगतान किया गया जबकि विधानसभा में इसके जी.एस.टी. नम्बर ही गलत दिये गये तथा दो विधायकों द्वारा रिपेयरिंग का खर्च मांगने पर अलग–अलग जानकारी दी गई, की विशेष जांच।
6. विभाग में निजी मशीनों से ज्यादा कार्य करवाया जाना, पिछले पांच साल में हेण्डपम्पों की खुदाई 1382 एवं नलकूपों का निर्माण 799 ही किया गया जबकि साल में दो हजार तक हेण्डपम्पों–नलकूपों की खुदाई हो सकती थी। निजी मशीनों से पांच साल में 1464 पीजोमीटर की

खुदाई की। विभाग की ड्रिलिंग मशीन की खुदाई का रेट 1238 रूपये प्रति मीटर है तो वही प्राइवेट मशीनों का रेट 540 से 580 रूपये प्रति मीटर ही है, की विशेष जांच।

उपरोक्त जांच दलों को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान जांच कार्य को स्थगित करते हुये जांच कार्य दिनांक 17.11.2025 से प्रारम्भ कर अनियमितताओं के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों सहित 1 माह में पूर्ण कर विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट :– आंतरिक जांच दल संख्या 15 द्वारा सर्वप्रथम जोधपुर जिले की विशेष जांच सम्पादित कर तत्पश्चात बाड़मेर का विशेष जांच कार्य सम्पादित किया जाना है एवं आंतरिक जांच दल संख्या 18 द्वारा वर्तमान विशेष जांच कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उदयपुर जिले का विशेष जांच कार्य सम्पादित किया जाना है।

Sd
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ 24964-987 दिनांक :– 12.11.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, भू–जल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, भू–जल विभाग, राजस्थान, जोधपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, भू–जल विभाग, राजस्थान, जोधपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, भू–जल विभाग, जयपुर/जोधपुर/बाड़मेर/उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुये जांच में पूर्ण सहायोग प्रदान करें।
7. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री नन्द किशोर व्यास, वरिष्ठ लेखाधिकारी/श्री नवीन थानवी, लेखाधिकारी/श्री प्रमोद बिहारी शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी/श्री श्याम कुमार टेलर, लेखाधिकारी/श्री हेमन्त बिलाला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/श्री किशन लाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/ श्री जितेन्द्र गोलिया, कनिष्ठ लेखाकार को देकर लेख है कि वर्तमान में चल रहे आंतरिक/भौतिक सत्यापन जांच कार्य को स्थगित कर निर्धारित दिनांक को विशेष जांच कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित कर अवगत करावें।
8. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
9. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

(आर.एल. परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)